न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 88/2008/223 आर टी ए

1. भादर पुत्र भोजाराम (फौत)

1/1 राजा पत्नि भादर जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

1/2 हरदत पुत्र भादर जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

1/3 बिमला पुत्री भादर जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

1/4 धापा पुत्री भादर जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

1/5 भामी पुत्री भादर जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

1/6 दिवान सिंह पुत्र भादर जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

––अपीलांटस

बनाम

1. श्योनारायण पुत्र भोजाराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.2008 न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर

प्रकरण संख्या 159/07 अनवानी श्योनारायण बनाम भादर आदि

उपस्थित :–

श्री राजकुमार बैनीवाल अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–19.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए तथा एक प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति शर्त 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट पेश किया। जिसमे अपीलांट द्वारा कांउटर क्लेम प्रस्तुत कर वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का विरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के काउंटर क्लेम का निर्णय नही करते हुए वाद वादी डिक्री किया गया तथा रास्ता स्वीकृति के आदेश दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कथन किया था कि विवादित भूमि का दोनो भाईयो के बीच मे कभी भी बंटवारा नही हुआ तथा भूमि मुश्तरका खरीदशुदा है तथा मुश्तरका ही काश्त करते इसलिये उक्त भूमि का मुताबिक किस्म भूमि के अच्छी मे से अच्छी एवं माडी के हिसाब से बंटवारा किया जावें तथा रास्ता का कोई विवाद नही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वाद स्वीकार किया गया और रास्ता स्वीकृति किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पर कोई गौर नही किया, मात्र वादी के मौखिक साक्ष्य को आधार मानकर विधि विरूद्ध तरीके से वाद वादी डिक्री करके तथा रास्ता स्वीकृत करते कानूनी भूल की है। विवादित भूमि के बंटवारे से संबंधित कोई लिखित दस्तावेज पत्रावली मे नही था तथा अपीलांट ने यह बखूबी साबित कर दिया था कि विवादित भूमि मश्तरका खरीदशुदा है तथा मुश्तरका ही काश्त होती है। विवादित भूमि मे अपीलांट के खेत मे रास्ता से संबंधी भी ना तो कोई दस्तावेज था तथा ना ही कोई गिरदावरी व जमाबंदी पेश की तथा ना ही नक्शा आदि पेश किया। फिर भी रास्ता स्वीकृत कर दिया गया। खाता विभाजन के समय जब अच्छी माडी के हिसाब से नक्शा बनता है, उस समय दोनो पक्षो का रास्ता तैय कर विभाजन किया जा सकता था। रास्ता संबंधी कार्यवाही अन्तर्गत शर्त 8 (2)राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट संयुक्त खाता की भूमि कानूनन नही चल सकती। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 1996 पेज 474, आरआरडी 1984 पेज 156, आरआरडी 1998 पेज 318 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर काउंटर क्लेम डिक्री किया जावे कि संयुक्त खरीदशुदा भूमि को अच्छी माडी के हिसाब से खाता व लगान तकसीम किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का बंटवारा अर्सा पूर्व हो चुका है और मुताबिक बंटवारा के ही मौके पर रेस्पो0 एंव अपीलांट अलग अलग काश्त करते है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 ने मिलकर खरीद की थी। रेस्पो0 ने बंटवारे मे प्राप्त भूमि मे ढाणी भी बना रखी है तथा कुण्ड आदि भी बना लिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त स्थिति को ध्यान मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वाद स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया है जो सही एवं विधिनुसार है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2003

पेज 20 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए तथा एक प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति शर्त 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट पेश किया। जिसमे अपीलांट द्वारा कांउटर क्लेम प्रस्तुत कर वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का विरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के काउंटर क्लेम का निर्णय नही करते हुए वाद वादी डिक्री किया गया तथा रास्ता स्वीकृति के आदेश दिये गये। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व ना तो अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम के संबंध मे कोई विवेचन किया गया और ना ही विभाजन हेतु प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए तहसीलदार से मौका अनुसार अच्छी मंदी के हिसाब से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया बल्कि रेस्पो0 के कथन के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.2008 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस

निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण मे विरचित तनकीयात का तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए प्रकरण मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे तहसीलदार स्वयं मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 18.05.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official